



**प्रेस विज्ञप्ति**  
**04/06/2026**

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई आंचलिक कार्यालय ने सलीम इस्माइल डोला और उसके सहयोगियों द्वारा संचालित "अंतरराष्ट्रीय संगठित मादक पदार्थों की तस्करी सिंडिकेट" के खिलाफ जांच के सिलसिले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत 02.06.2026 और 03.06.2026 को मुंबई, सूरत, अंकलेश्वर और राजकोट के 21 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया।

तलाशी अभियान में सलीम डोला के संगठित मादक पदार्थों के नेटवर्क को शामिल किया गया है, जिसमें सिंडिकेट के सभी छोर शामिल हैं, जैसे कि रासायनिक आपूर्तिकर्ता, रासायनिक व्यापारी, सिंथेटिक मादक पदार्थ मेफेड्रोन (एमडी) के निर्माता/वितरक, हवाला संचालक और संगठित मादक पदार्थ सिंडिकेट से प्राप्त करोड़ों रुपये की बेनामी संपत्तियों के मालिक। तदनुसार, तलाशी अभियान ने अवैध आपूर्ति शृंखला और मनी लॉन्ड्रिंग तंत्र की महत्वपूर्ण कड़ियों को लक्षित किया है ताकि सिंडिकेट की परिचालन क्षमताओं और वित्तीय बुनियादी ढांचे को महत्वपूर्ण रूप से बाधित किया जा सके।

तलाशी अभियान के परिणामस्वरूप लगभग 1.33 करोड़ रुपये की नकदी, विदेशी मुद्रा, सोने की छड़ें और बैंक बैलेंस जब्त कर फ्रीज कर दिए गए, साथ ही 2,200 अमेरिकी डॉलर की विदेशी मुद्रा भी बरामद की गई। इसके अतिरिक्त, भारत और दुबई में स्थित कई करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों से संबंधित दस्तावेज भी बरामद किए गए, जो संगठित ड्रग सिंडिकेट से प्राप्त धन से किए गए पर्याप्त निवेश को दर्शाते हैं।

इस मामले में जांच मुंबई में विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा सलीम डोला और अन्य के खिलाफ मादक पदार्थों और साइकोट्रॉपिक पदार्थों की अवैध तस्करी से संबंधित अपराधों के लिए दर्ज की गई कई एफआईआर के आधार पर शुरू की गई थी। अब तक की गई जांच से पता चला है कि एक अत्यंत संगठित अंतरराष्ट्रीय आपराधिक नेटवर्क मौजूद है जो रासायनिक पदार्थों की खरीद, मेफेड्रोन (एमडी) के गुप्त निर्माण, मादक पदार्थों के अंतरराष्ट्रीय परिवहन और वितरण, मादक पदार्थों की अंतरराष्ट्रीय तस्करी, हवाला चैनलों के माध्यम से अपराध की आय का संग्रह और उसे छिपाना, और सहयोगियों और अन्य व्यक्तियों के नाम पर चल और अचल संपत्तियों के अधिग्रहण में संलग्न है।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।